उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

12 5/23 पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत भगवानपुरा मे पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या –23/2023 प्रा०पत्र

1–श्री. गोरधन s/o श्री देबीलाल स्वारोल निवासी - भगवानपुरा तहसील- माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

श्रीमती सुन्दरदेवी w/o गोपीलाल स्वारोल निवासी-भगवानपुरा त० मांडल [वगैरा] (पृष्ठांकित प्रा०पत्र सलंग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः–12-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भगवानपुरा ....पटवार हल्का भगवानपुरा ....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं 1435,1436,1442,1443 कुल किता 04 ....रकबा 1-0875 ....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30-01-23 ....को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा ....पटवार हल्का भगवानपुरा .....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी 1435,1436,1442,1443 .... कुल किता.................04.....................रकबा 1-0875 ....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा .... को 500/- ....रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:36 IST
Reason: SelfAttested

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा [illegible] कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल